अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

न. 2/74/2021 तारीख रजू..........................

यांहित बनाम सुखराम वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.06.2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः अप्रार्थीगण जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नम्बर 353, 364, 366, 371, 382, 398, 399, 400, 401, 402, 403, वाके ग्राम मन्याकावास तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात को सायलन के हिस्सेनुसार कब्जेकाश्त में किसी तरह की रूकावतट मजाहमत पैदा न करें जबरन वेदखल कर खुद कब्जा न करें रहनवय न करें गैरसायल संख्या 2 किसी तरह वयनामा रहनामा अदि दस्तावेत तस्दीक व पंजीवंद न करें रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति वनाये रखें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 09.09.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 09.09.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
9/9/2021	वकील ... प्रार्थी उपस्थित मावक आदेश दिनांक........................ की पालना में पत्रावली वास्ते ... रिकॉर्ड ... दिनांक 21/12/2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...1.22	पत्रावली .... उपस्थित। .... 2514/22 .... आदेश हेतु .... 28/4/22 .... पेश हो। (समय की कमी के कारण आदेश नहीं सुनाया) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
28.4.22	पत्रावली पेश हुई आवेदक अपने प्रार्थना-पत्र को साबित करने में असफल रहे हैं अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है प्रतिपक्षी पर जारी स्टे आदेश दिनांक 25.6.2021 वेकेट किया जाता है निर्णय पृथक से। पत्रावली दाखिल [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] [illegible] के साथ [illegible] हो (सुनाया) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/74/2021

वउनवान

1. मोहित पुत्र गोरधन पोत्र सुखराम जाति मीना नाबालिग
2. रोहित पुत्र गोरधन पोत्र सुखराम जाति मीना नाबालिग

दोनों नाबालिग जरिये सपरस्त माता सीमा पत्नी गोरधन जाति मीना निवासी मन्याकाबास तहसील कठूमर जिला अलवर

सायलान

बनाम

1. सुखराम पुत्र विहारी जाति मीना निवासी मन्या का बास तहसील कठूमर ज़िला अलवर
2. उप पंजीयक महोदय भनोखर तहसील कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री सतेन्द्रसिंह चौधरी एडवोकेट – अधिवक्ता सायलान की ओर से

श्री ललतेश शर्मा – अधिवक्ता गैरसायल सं01 की ओर से

आदेश

दिनांक 28.04.2022

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 353, 364, 366, 371, 381, 398, 399, 400, 401, 402, 403 ग्राम मन्याकाबास तहसील कठूमर में स्थित

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

है। सायलान ने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 3 में परिवार का सजरा अंकित किया है। सायलान एंव तरतीवी प्रतिवादी सं0 3 ला0 6 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। उपरोक्त विवादित आराजी सायलान के दादा सुखराम व पडदादा विहारी की पैदा कर्दा आराजी होने से पैत्रिक आराजी है। सायलान के पड दादा विहारी से गैरसायल सं0 1 सुखराम को विरासत में प्राप्त हुई है। विवादित आराजी में सायलान का 2/45 हिस्सा सायलान को विरासत में प्राप्त हुआ है शेष हिस्सा गैरसायल सं0 1 व तरतीवी प्रतिवादीगण का है। कानूनन दादा की पैदा कर्दा आराजी में उसके पोत्रों को जन्म से ही हक व अधिकार पैदा हो जाते है। इसी अधिकार के तहत सायलान विवादित आराजी के 2/45 हिस्सा पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। मौके पर कब्जे काश्त में है। विवादित आराजी वावत राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी दर्ज रहने से सायलान के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। गैरसायल सं0 1 दीगर लोगों की वहकावट में आ रहा है जो विवादित आराजी को विना किसी हक व अधिकार के दीगर लोगों को रहन वय करना चाहता है तथा सायलान के हिस्सानुसार कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गया तो सायलान को ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 1 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि सायलान ने प्रार्थना पत्र में सजरा गलत किया है। सही सजरा सायलान अंकित कर रहे है। गैरसायल सं0 1 का पिता विहारी था जिसके तीन लडके जौहरी सुखराम व भगवानसहाय थे जिनमें से जौहरी फौत हो चुका है। जिनके दो लडके तुलसी व धारासिंह है तथा गैरसायल सं0 1 की पत्नी निरमा है और दो लडके परसुराम व विजय है तथा विहारी के तीसरा लडका भगवानसहाय था जो भी फौत हो चुका है। जिसकी विवाहित पत्नी औमवती है व दो पुत्र गोरधन व दीनदयाल हे तथा गोरधन के सायल सं0 1 रोहित व मोहित है तथा ओमवती सायल सं0 1 की पत्नी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

नहीं है बल्कि उसके भाई भगवानसहाय की पत्नी है और भगवानसहाय के फौत होने पर भगवानसहाय का विरासत इन्तकाल भी ओमवती व गोरधन, दीनदयाल के नाम दर्ज व तस्दीक हो चुका है। गैरसायल सं0 1 सुखराम सायलान का दादा नही है। विवादित आराजी पूर्व में भोला पुत्र रमली मीना निवासी मन्याकाबास की आराजी थी जिस भोला मीना ने किता 17 कुल रकवा 21 वीघा 11 विस्वा वाके ग्राम रोनीजाथान का 1/3 हिस्से की वावत सायलान के बाबा भगवान को दिनांक 14.10.1966 को जरिये हिवैनामा दी थी। जिस 1/3 हिस्से पर भगवान काविज था और भगवान के फौत हो जाने पर आराजी का 1/3 हिस्सा उसके वारिसान ओमवती गोरधन व दीनदयाल को विरासत में प्राप्त हुई थी। जिनका आराजी मुतनजा पर कब्जा है। इसी आराजी की वावत भोला ने अपनी 21 वीघा 11 विस्वा के 1/3 हिस्सा की एक वसीयत गैरसायल सं0 1 व गैरसायल सं0 1 के भाई जोहरी को 1/3–1/3 एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 17.05.1978 को उप पंजीयक लक्ष्मणगढ के यहां तस्दीक कराई थी। जो भोला की प्रथम व अंतिम वसीयत थी। भोला के फौत होने पर 1/3 हिस्सा जोहरी को व 1/3 हिस्सा गैरसायल को प्राप्त हुआ जिस आराजी के 1/3 हिस्सा जोहरी के ात होने पर उनके वारिसान का नाम दर्ज है और 1/3 हिस्सा गैरसायल सं0 1 के नाम दर्ज है। इस प्रकार विवादित आराजी पैत्रिक आराजी नहीं है। सायलान गैरसायल सं0 1 के पोते नहीं है बल्कि भगवानसहाय के पोते है और भगवानसहाय की सम्पत्ति में इनके पिता गोरधन को अधिकार प्राप्त हो चुके है। सायलान का 1/3 हिस्सा अलग है गैरसायल सं0 1का 1/3 हिस्सा अलग है गैरसायल सं0 1 के 1/3 हिस्सा से सायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और ना सायलान को गैरसायल स0 1 के हिस्सा में बाई बर्थ हक व अधिकार प्राप्त होते। गैरसायल का परिवार राशनकार्ड अलग है। सायलान अपने दादा भगवानसहाय के हिस्सेकी आराजी पर काविज है यदि सायलान के पिता गोरधन ने किसी दस्तावेज में गैरसायल सं0 1 का नाम अंकित करा लिया हो तो वो फर्जी व कूट रचित है। राजस्व रेकार्ड में जो आराजी मुतनाजा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

गैरसायल सं0 1 के नाम गलत दर्ज हो रही है वह जमीन गैरसायल की स्वंय की पैदा कर्दा जमीन है जिसमें सायलान का किसी तरह का हक हिस्सा नहीं है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। विवादित आराजी गैरसायल सं0 1 की स्वअर्जित है। गैरसायल सं0 1 विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है जिसे विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा हक व अधिकार है। सायलान को विवादित आराजी वावत बाई बर्थ हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी नहीं है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में छाया प्रति प्रगति पत्र सुनीता पुत्री सुखराम कक्षा 4, अध्ययन प्रमाण पत्र गोरधन पुत्र सुखराम कक्षा 4, अध्ययन प्रमाण पत्र सुनीता पुत्री सुखराम एस आर नम्बर 54 मतदाता पहचान पत्र तथा सत्यप्रततलिपी नामान्तरण मंजूरी सरपंच तथा छाया प्रति जाति प्रमाण पत्र दीनदयाल अंकतालिका दीनदयाल कंमांक 0096134, आधार कार्ड दीनदयाल, आधार कार्ड दीनदयाल, अंकतलिका बी ए तृतिय वर्ष गोरधन, अंकतालिका मा0शि0 2007, भामाशाह सीमा, परिवार राशनकार्ड गोरधन, ड्राइविंग लाइसेंस गोवर्धन की पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

गैरसायल ने अपने जवाव प्रार्थना पत्र के समर्थन में छाया प्रति राशनकार्ड मुखिया, जी एस एस रोनीजाथान की पास वुक, छाया प्रति ऋण पुस्तिका सैण्ट्रल कॉपरेटिव बैंक हाल जमाबन्दी, भामाशाह, हिवैनामा की छाया प्रति, वसीयतनामा व ओमवती पत्नी भगवान के पुराने राशनकार्ड की छाया प्रति दीनदयाल की कक्षा 4 की अंकतालिका की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

हमने पत्रावली के तथ्यों सायलान द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पुर्ति होने वाली क्षति तीनों बिन्दुओं को सावित करने का भार सायलान पर है। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र मे पारिवारिक सजरा अंकित किया है जिसे गेरसायलान ने गलत बताया है। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम मन्याकाबास पेश की है जिसमें विवादित आराजी गैरसायल सं0 1 की खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी विहारी की पैदाकर्दा आराजी हो और उक्त आराजी सायलान को विरासत में प्राप्त हुई हो इस तरह का सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। सायलान ने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 3 में सजरा अंकित कर विहारी का पुत्र सुखराम व सुखराम की पहली औरत विरमा व दूसरी औरत ओमवती दर्शाया है। पत्रावली के साथ नामान्तकरण संख्या 163 वाके ग्राम रोनीजाथान की छाया प्रति संलग्न है जिसमें कॉलम संख्या 14 में विरासत भगवान व भगवान के वारिस के रूप में मु0 वेवा ओमवती अंकित है। इससे सावित है कि ओमवती सुखराम की दूसरी औरत न होकर ओमवती भगवान की विधवा पत्नी है। ओमवती सुखराम की दूसरी औरत हो व सायलान सुखराम के पोत्र हों व विवादित आराजी पैत्रिक विहारी की पैदा कर्दा आराजी हो व विवादित आराज़ी पर सायलान का 2/45 हिस्सा पर कब्जा हो इन तथ्यों को सावित कराने के लिये सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। हाल राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी गैरसायल सं0 1 की खातेदारी में दर्ज है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि के अवलोकन से विवादित आराजी पर सायलान का कब्जा प्रतीत नहीं होता है। यदि गैरसायल सं01 को पाबन्द कर दिया गया तो अपार हानि क्षति व असुविधा गैरसायल को होना संभव है। सायलान को किसी तरह का नुकशान हो रहा है इस तरह की स्थिति अदालत के

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

समक्ष नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायल के पक्ष में सावित है। सायलान अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहे है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 25.06.2021 वेकेट किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 28.04.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)